आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–07/2018

1. गोवर्धन महतो, पिता स्व० सहजा महतो, सा०–सोनाहातु, टोला–नीमडीह, पो०+थाना–सोनाहातु, जिला–राँची।................अपीलार्थी।

बनाम

1. झारखण्ड सरकार, अंचल अधिकारी, सोनाहातु.................................विपक्षी।

आदेश

21.10.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–214 R27/2016-2017 में पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
नीमडीह	सोनाहातु	66	34	1148	53 डिसमील
नीमडीह	सोनाहातु	66	34	1151	26 डिसमील

खेसरा सं०–1148 रकवा–53 डिसमील भूमि का चौहदीः–

उ०–रामदास सिंह मुण्डा, द०–राजन्द्र भगत,

पू०–विजय पातर मुण्डा, प०–राम दास सिंह मुण्डा वो एतवा सिंह मुण्डा।

खेसरा सं०–1151 रकवा–26 डिसमील भूमि का चौहदीः–

उ०–गोपाल महतो, द०–जंगल लोहरा, पू०–राजेन्द्र भगत, प०–राजेन्द्र भगत।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उपरोक्त भूमि को विक्रेतागण (1) संजीत कुमार भगत वो (2) विनय कुमार भगत दोनों पिता–स्व० शिवचरण भगत, ग्राम–नीमडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची के दादाजी श्री महावीर भगत वगैरह ने एक रजिस्ट्री पट्टा द्वारा हसिल किया था तथा अपने नाम से अंचल कार्यालय, सोनाहातु में दाखिल खारिज कराकर लगान रसीद भी प्राप्त किया है। वावजूद इसके अपीलकर्त्ता के नाम से उक्त भूमि का नामांतरण वाद को इस वजह से अस्वीकृत कर दिया गया कि आवेदित भूमि पंजी2 में विक्रेता के नाम से दर्ज नहीं है। अतः अनुरोध है कि इस अपील वाद को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी को उपरोक्त भूमि का नामांतरण करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–214 R27/2016-2017 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि पंजी2 में विक्रेता के नाम से दर्ज नहीं है। अतएव इसी आधार पर नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अभिलेखबद्ध दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिए बिना ही नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, सोनाहातु द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।